छात्र अधिकार संबंधी दिशानिर्देश

विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रशासकों एवं संस्थानों को छात्रों के न्यूनतम अधिकारों की जानकारी प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा दिशानिर्देश, जारी किये गये हैं। ये दिशानिर्देश, देश में विद्यमान समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों (उच्च शिक्षा के प्रत्येक संस्थान को इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत निरपवाद रूप से सम्मिलित माना जाएगा, चाहे उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के रूप में न जाना जाता हो)। प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय वर्तमान दिशानिर्देशों को अपनी विवरणिका में अधिदेशात्मक रूप से पूर्णतः प्रकाशित करेगा, साथ ही अपनी वेबसाइट के होमपेज पर भी दर्शायेगा।

इन अधिकारों के पूर्णरूपेण अनुपालन का दायित्व शैक्षिक संस्थानों, प्रशासकों, नीतिनिर्माताओं, अध्यापकों एवं स्वयं छात्रों पर भी होगा। इनके गैर अनुपालन की स्थिति में, कोई भी छात्र जन शिकायत निवारण प्राधिकरण या लोकपाल से संपर्क कर सकता है। इन दिशानिर्देशों का गंभीर रूप से निरंतर उल्लंघन करने पर इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संज्ञान में लाया जा सकता है तथा जिसके आधार पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इनमें से कुछ प्रावधान, पहले से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विधियों या नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत आवृत्त हैं। तथापि, छात्रों को उन मौजूदा विधियों, नियमों एवं विनियमों का लाभ उठाने का अधिकार होगा, चाहे उन्हें इन दिशानिर्देशों में न भी दर्शाया गया हो।

1. दाखिला

1.1 किसी भी पाठ्यक्रम हेतु की गई घोषणा या विज्ञापन में अनिवार्य एवं स्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट किया जाए कि प्रदान की जाने वाली डिग्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबद्ध सांविधिक प्राधिकरणों (यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 22 C के अंतर्गत यूजीसी वेबसाइट पर अद्यतन सूची अनुसार) द्वारा अधिसूचित है या नहीं तथा डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों की सूची में मौजूद है या नहीं।

1.2 दाखिले का इच्छुक छात्र, एक दस्तावेज (सामान्यतः विवरणिका के नाम से चिह्नित) प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिसके अंतर्गत वह पाठ्यक्रम, जिसमें पाठ्यचर्या, संकाय सदस्यों के नाम एवं अकादमिक वृत्त एवं स्तर, कार्यविधि एवं मूल्यांकन की आवृत्ति, पाठ्यक्रम की अवधि, अकादमिक कैलेंडर तथा शुल्क या किसी भी प्रकार के अधिभार एवं प्रतिपूर्ति संबंधी

विस्तृत सूचना सम्मिलित होगी। विवरणिका में दी गई सूचना में किये जाने वाले परिवर्तन के कारण, अध्ययन पाठ्यक्रम के दौरान, छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े तथा किसी भी परिवर्तन को आवश्यक समझे जाने पर उसे व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र को संप्रेषित किया जाना चाहिए, साथ ही, ऐसे परिवर्तन के कारणों से भी उसे अवगत कराया जाना चाहिए।

1.3 इस विवरणिका में, दाखिला संबंधी वास्तविक प्रक्रिया एवं मानदण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इसमें गत अकादमिक निष्पादन, प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार का महत्व समाविष्ट रहता है। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यविवरण एवं प्रारूप स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा प्राप्तांकों एवं समस्त घटकों सहित सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची को सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य है।

1.4 दाखिला पाने के लिए किसी भी वर्ग के आरक्षण या कोटा संबंधी सूचना, पात्रता मानदण्ड संबंधी प्रमाणपत्र का विवरणिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.5 ऐसे दस्तावेज, जिनका संकेत विवरणिका में नहीं दिया गया है, उन्हें छात्रों द्वारा प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि संस्थान, छात्र द्वारा सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज (जैसे विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र, अंक तालिका, जाति–प्रमाणपत्र इत्यादि) प्रस्तुत करने का आग्रह कर सकता है, तथापि वह संस्थान, छात्रों के किन्हीं मूल दस्तावेजों को अपने पास नहीं रोक सकता। [मि. सं. 1–3/2007 (CPP–II) (दिनाँकः 2 अप्रैल, 2007, यूजीसी द्वारा अधिसूचित)]

2. अध्ययन एवं अध्यापन में गुणवत्ता

2.1 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रों को अभिकेन्द्रित पर्यावरण सुलभ कराये जाने का दायित्व महाविद्यालय/विश्वविद्यालय पर होगा जो छात्रों के अध्ययन कौशल को विकसित करने के अनुरूप होगा। संस्थान द्वारा मंजूरीकृत भाषा में सभी छात्रों को शिक्षा अथवा परीक्षा संबंधी समस्त अनुदेश एवं पठनसामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा।

2.2 ऐसे छात्र, जो शैक्षिक माध्यम में अपना कार्य किसी सामाजिक बाधा या शिक्षा के माध्यम में किये गये किसी परिवर्तन प्रतिबंध के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वे इस अंतराल की पूर्ति करने के लिए विशेष सहायता पाने के हकदार होंगे।

2.3 छात्र, योग्यताप्राप्त अध्यापकों की उपलब्धता एवं उनकी उपस्थिति, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अध्यापन दिवस एवं संपर्क घंटे तथा नियत समय पर पाठ्यक्रम से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के अधिकारी हैं) [अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता संबंधी यूजीसी विनियम, 2010]

2.4 छात्र, समुचित सुविधाओं, सेवाओं एवं संसाधनों के हकदार होंगे, जिनमें पुस्तकालय (पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों, पत्रिकाओं, ई–रिसोर्सेज के संग्रह सहित) प्रयोगशालाएँ, अनुमत शिक्षा एवं परीक्षा के माध्यम की भाषाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

2.5 छात्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समय पर मूल्याँकन, उत्तर–पुस्तिकाओं की पुनःजाँच एवं पुनर्मूल्याँकन एवं मूल्याँकन पद्धति संबंधी किसी भी शिकायत निवारण के हकदार होंगे। परिणामों की घोषणा के पश्चात वे अपनी उत्तर–पुस्तिकाओं की एक प्रति पाने के भी हकदार होंगे।

2.6 जैसा कि विवरणिका के अकादमिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट हैं, छात्र, परीक्षाओं के समय पर संचालन एवं परिणामों की घोषणा के हकदार होंगे। परिणामों की घोषणा के 180 दिन के भीतर वे डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

2.7 छात्र, अध्यापन, छात्र सेवाओं एवं संस्थानात्मक अवसंरचना की गुणवत्ता से संबद्ध नियमित प्रतिपुष्टि के हकदार होंगे। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्राप्ति के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा तथा छात्रों की प्रतिपुष्टि के आधार पर समीक्षा एवं सुधार के प्रयास करेगा।

3. शुल्क एवं वित्तीय सहायता

3.1 छात्रों को शुल्क राशि, घटकों, फ्रीक्वेंसी, किसी भी प्रकार के भुगतान की प्रविधि जिसमें शुल्क अथवा किसी भी अन्य प्रकार के अधिभार सम्मिलित हैं एवं प्रतिपूर्ति नियमों के संबंध मे पहले से ही संपूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई छात्र, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व अपना नाम वापस ले लेता है तो उसे शुल्क की समस्त राशि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए जिसमें से अधिकतम रू. 1000/– की, कटौती की जा सकती है। (मि. सं. 1–3/2007 (CPP–II) दिनाँकः 23 अप्रैल, 2007 को यूजीसी द्वारा अधिसूचित)

3.2 प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को अपना अधिकतम प्रयास यह सुनिश्चित करने की दिशा में करना होगा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के

अभाव के कारण कोई भी छात्र गुणवत्तायुक्त शिक्षा के अवसरों से वंचित न रह जाए। नीतिनिर्मताओं का यह दायित्व है कि इस सिद्धाँत के क्रियान्वयन हेतु यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त निधियन विद्यमान है। विवरणिका में छात्रों को उपलब्ध छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति/किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता से संबद्ध योजना की समेकित सूचना सम्मिलित की जा सकती है। यह विवरणिका इस प्रकार की योजनाओं को छात्रों के संज्ञान में लाने एवं सुलभ बनाने में सहायक होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी है।

4. अवसंरचना

4.1 छात्र, उपयुक्त संसाधनों के हकदार होंगे, जैसे कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ एवं अन्य अकादमिक सुविधाएँ सुलभता से प्राप्त कर सकेंगे जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक हैं (यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 12 (बी) के अंतर्गत अनुदान हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की उपयुक्तता हेतु नियम एवं विनियम, निजी विश्वविद्यालय विनियम, मानित विश्वविद्यालय विनियम संबंधी यूजीसी नियम एवं विनियम)

4.2 छात्र, खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधाएँ प्राप्त करने, साहित्यिक एवं सुरूचिपूर्ण अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का अनुसरण करने के हकदार होंगे।

4.3 छात्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, मुफ्त एवं आवधिक स्वास्थ्य जाँच तथा चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति में उपचार/अस्पताल में इलाज के हकदार होंगे।

4.4 छात्र, ऐसे पर्याप्त, स्वच्छ एवं साफ–सुधरे आवासीय छात्रावास, आवास के हकदार होंगे जिनमें मनोरंजन सुविधाओं सहित अन्य मूलभूत सुविधाएँ भी होंगी। ऐसे आवासीय स्थल को छात्रों की पहुँच के भीतर रखा जाना चाहिए तथा संस्थान द्वारा इसका उपयोग आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों के उपयोग के लिए नियत आवासों का संस्थान द्वारा अन्य किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

4.5 ऐसे छात्र, जो शारीरिक विकलॉग है वे बिना किसी भेदभाव के समस्त योजनाओं, सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, एक ऐसे प्रशिक्षण आधारित पाठ्यचर्या का

सार्वभौमिक प्रारूप बनाने का प्रयास करेंगे जिसके द्वारा विस्तृत रूप से समस्त छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उनकी बाधाएँ न्यून होंगी तथा वे अधिकतम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, अबाधित संपर्क, विशेष पुस्तकालय संसाधन (ब्रेल एवं सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी संसाधन सहित) इंगित भाषा (साइन लैंग्वेज) के दुभाषिये/प्रतिलिपिक हेतु प्रावधान, आवश्यक उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक संसाधन एवं अपंग छात्रों को परीक्षा में आवश्यक छूट के हकदार होंगे। शारीरिक विकलॉग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) यूजीसी अर्धशासी मि.सं. 6–1/2006 (सी.पी.पी–II), मि.सं. 6–1/2012 (एस.सी.टी),

5. संस्थागत प्रकार्यात्मकता के प्रत्येक दृष्टिकोण से छात्र भेदभाव मुक्त व्यवहार के हकदार होंगे (अर्थात उत्पीड़न शोषण एवं बहिष्करण से रहित वातावरण) जाति, लिंग, वर्ण, रंग प्रजाति, धर्म, जन्मस्थान, राजनीतिक मान्यता, भाषा, एवं अपंगता पर आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रतिबंधित होगा।

5.1 सभी संस्थान विशेष रूप से उन छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे जो अजा, अजजा, से संबद्व हैं एव किसी भी क्षेत्र या प्रजाति समूह के छात्रों का रंग भेद के आधार पर पृथक रूप से वर्गीकरण नहीं करेगे। [उच्च शैक्षिक संस्थानों में समानता की प्रोन्नति) यूजीसी विनियम, 2012]

5.2 लैगिक उत्पीड़न संरक्षण का छात्रों को अधिकार है तथा लैगिक उत्पीड़न के विरूद्व वे लैंगिक संवेदीकरण समितियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश एवं नियम निर्धारित किये हैं [विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (JT1997 (7) SC 384)]

5.3 सभी छात्रों को किसी भी रूप में रैगिंग से संरक्षण पाने का अधिकार है। [रैगिंग के जोखिम का निराकरण) यूजीसी अधिनियम, 2009]

6. प्रजातांत्रिक नागरिक होने के नाते समस्त छात्रों को अपने संस्थानों के भीतर एवं बाहर अपने विचारों एवं अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को विचारधाराओं एवं सार्वजनिक विचारविमर्श के लिए मुक्त व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि एक आलोचनात्मक तार्किकता एवं जानने की संस्कृति को पोषित किया जा सके। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को ऐसी गोष्ठियाँ/व्याख्यान एवं वाद–विवाद के आयोजन पर कोई अनुपयुक्त, पक्षपातपूर्ण अथवा स्वेच्छापूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिएँ, बशर्ते वे किसी का भी उल्लंघन न करते हों।

7. छात्रों को ऐसी सभाओं एवं संघनिर्माण, छात्रसंघों में अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष रूप से चयन करने का, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के निर्णय लेने वाले निकायों, जिनमें आंतरिक गुणवत्ता आकलन एवं शिकायत समितियाँ सम्मिलित हैं तथा लैगिंक शोषण के विरूद्व लैगिंक संवेदनशील समितियाँ एवं अकादमिक/कार्यकारी परिषद सहित अपने प्रतिनिधियो को स्थापित करने का अधिकार है। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रों पर प्रभाव डालने वाले किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व छात्रों के प्रतिनिधियों से पर्याप्त परामर्श हेतु तंत्रों का सृजन करेगा।

8. छात्र, जिस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत हैं अथवा अध्ययन करना चाहते हैं, उस संस्थान के संबंध में सम्पूर्ण एवं सही सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट एवं विवरणिका में निम्न सूचना को दर्शायेगाः संस्थान स्तर, इसकी सहसंबद्धता, प्रत्यायन दर, भौतिक परिसम्पत्तियाँ एवं सुखसाधन, शासी निकायों की सदस्यता एवं उनकी आय के स्त्रोत एवं वित्तीय स्थिति, अकादमिक/कार्यकारी परिषदों के सदृश निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त एवं इसके प्रकार्यों के संबंध में ऐसी कोई भी मनचाही सूचना जो किसी भी छात्र के लिए अनिवार्य है। (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुच्छेद 4 (1)

9. छात्र, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 10 दिन के भीतर शिकायत निवारण समिति द्वारा अपनी शिकायत का निवारण कराने के हकदार होंगे। इससे संतुष्ट न होने की स्थिति में, निवारण हेतु संबद्व विश्वविद्यालय में नियुक्त लोकपाल के समक्ष अपनी अपील 30 दिन के भीतर दायर करने के हकदार होंगे। [यूजीसी (शिकायत निवारण) विनियम, 2012]

10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन दिशानिर्देशों के समुचित क्रियान्वयन हेतु अनुदेश जारी करे।